

23/1/15

उपस्थित नहीं किया।
अधिकार क्षेत्र में आने योग्य मामलों में
अधिकार क्षेत्र में आने योग्य नहीं हो
अधिकार क्षेत्र में आने योग्य होकर
अधिकार क्षेत्र में आने योग्य होकर

23/1/15


23/1/15

अधिकार क्षेत्र में आने योग्य नहीं हो
अधिकार क्षेत्र में आने योग्य होकर
अधिकार क्षेत्र में आने योग्य होकर
अधिकार क्षेत्र में आने योग्य होकर

03-06-25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता
प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय
पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी
एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिटाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पेरवी' व
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर स्वारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो
व नंबर से कम हो।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Car
Read